संख्या-14/2021/592/61-2021

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदानों के अन्तर्गत अनुदान संख्या-41 में प्राविधानित धनराशि के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-27/2021/बी-2-200/दस-2021-244/2021, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2- अत: इस संबंध में आपके पत्र संख्या-550/सी०ई०ओ०-3-15/3-2021, दिनांक 06 अगस्त, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखा शीर्षक-2015 राजस्व लेखा पक्ष के विभिन्न मानक मदों में इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार रू० 29700.00 लाख (रूपये दो अरब सत्तानबे करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की सुश्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-27/2021/बी-2-200/दस-2021-244/2021, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार धनराशियों का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राप्त कर ली जाये। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी०एल०ए० खातों में जमा नहीं किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या-वित्त ई-12-ई०ओ०-144/दस-2021, दिनांक 14 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

-2-

संख्या-14/2021/592(1)/61-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या- संख्या-14/2021/592/61-2021, दिनांक 22 सितम्बर, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि रू0 लाख में)

अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन	
103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण-03-विधान सभा एवं संसद	
07-मानदेय	1885.00
08-कार्यालय व्यय	3400.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	120.00
103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय	
08-कार्यालय व्यय	27.98
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	5.00
103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण-06-फोटो पहचान पत्र	
08-कार्यालय व्यय	740.00
105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन	
08-कार्यालय व्यय	200.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	21.94
105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05- राज्य सभी द्विवार्षिक निर्वाचन/ उप निर्वाचन	
07- मानदेय	0.22
08-कार्यालय व्यय	2.16

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

106-राज्य/संघ राज्य के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा	
04-यात्रा व्यय	847.72
07-मानदेय	188.50
08-कार्यालय व्यय	21945.58
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	51.30
13-टेलीफोन पर व्यय	42.00
04-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान परिषद	
04-यात्रा व्यय	22.80
07-मानदेय	7.80
08-कार्यालय व्यय	180.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12.00
योग	**29700.00**

(कुल धनराशि रू० दो अरब सत्तानबे करोड़ मात्र)

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है